न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 05/2019/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1. चूना
2. बेगा
3. छिगना

} पुत्रगण भारू जाति जाट नि0 भीमा तह0 दांतारामगढ।

4. उमा पुत्र पदमा जाति जाट नि0 भीमा तह0 दांतारामगढ।
5. भागू पुत्र जीवण (फौत)

5/1. रतनी देवी पत्नि भागीरथ जाति जाट नि0 भीमा तह0 दांतारामगढ।
5/2. भींवाराम द0पु0 भागीरथ जाति जाट नि0 भीमा तह0 दांतारामगढ़।

6. मन्ना
7. भोमा

} पुत्र भारू जाति जाट नि0 भीमा

8. पेमा पुत्र रूपा जाति जाट नि0 भीमा
9. रूपा पुत्र डालू (फौत)

1. सुखा
2. नानूराम
3. मोहनराम
4. नोपाराम

} पुत्रगण रूपा

5. चन्द्रीप0 नारायण जाट नि0 टोडास तह0 कुचामन तह0 कुचामन
6. सोनी प0 श्रीकिशन जाति जाट नि0 सांगलिया
7. मनोहरी प0 झाबर जाट नि0 मोडियावट तह0 डीडवाना
   जिला नागौर समस्त पुत्रीगण रूपा जाति जाट नि0 भीमा
8. चन्द्री प0 भूराराम

9. जगदीश
10. मुकेश
11. चूनाराम
12. प्रभुराम

} पुत्र भूराराम जाति जाट नि0 भीमा

13. सोहनी प0 गणेश जाति जाट नि0 मुण्डवाडा तह0 धोद, सीकर
14. छोटी प0 नोलाराम जाति जाट नि0 काकोट तह0 कुचामन जिला नागौर पुत्रियां भूराराम

15. सुरेन्द्र
16. विरेन्द्र
17. सुमन

} पुत्र—पुत्रियां हीरालाल
नाबालिग संरक्षक माता बनारसी

18. बनारसी पत्नि हीरालाल जाति जाट नि0 भीमा

19. राजू
20. प्रकाश

} पुत्र देवाराम जाति जाट नि0 परेवडी
तह0 कुचामन जिला नागौर माता रामी देवी पुत्री भूराराम

21. विमला प0 कुम्भाराम जाति जाट नि0 धनकोली तह0 डीडवाना जिला नागौर। माता रामी देवी पुत्री भूराराम
22. भागीरथ पुत्र पोखर जाति जाट नि0 भीमा
23. उमा पुत्र पेमा जाति जाट नि0 भीमा

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

24. रतनी बेवा भागीरथ जाति जाट नि0 भीमा

25. भैरूराम
26 पीथाराम
27. गोपाल — पुत्र महादाराम जाति जाट नि0 भीमा

28. मूली प0 सांवरसिंह जाति दरोगा नि0 बठोठ तह0 लक्ष्मणगढ
29. गुलाबी प0 बंशीधर जाति दरोगा नि0 बठोठ तह0 लक्ष्मणगढ
30. मोहनी प0 भोमसिंह जाति दरोगा नि0 बठोठ तह0 लक्ष्मणगढ
31. तीजू प0 गिरधारीलाल जाति दरोगा नि0 पिपराली तह0 सीकर
32. चौथी प0 रामूराम जाति दरोगा नि0 पिपराली तह0 सीकर। पुत्रियां गणेश
33. मदन पुत्र भागीरथ जाति दरोगा (लापता)
34. घीसाराम पुत्र चूना जाट नि0 भीमा

35. लिछमणराम
36. गोपीराम — पुत्रगण रूपाराम जाति जांगिड़ ब्राहमण नि0 भीमा।

37. मोहनी देवी पत्नि राम किशन जाति जाट नि0 भीमा

38. मुरलीधर
39. सीताराम
40. महावीर
41. घनश्याम
42. गोपाल — पुत्रगण रामकिशन जाति स्वामी निवासीगण समस्त ग्राम भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

43. भगवानी देवी पत्नि मोहनराम जाति जाट नि0 भीमा (मूली, गुलाबी, तीजू, चौथी, मोहनी पुत्रीयां गणेश के स्थान पर नामा 01366, 1398 के द्वारा)

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956

वकील अप्रार्थी श्री संजीव माथुर

निर्णय **दिनांकः–20.11.2019**

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भीमा के साबिक खसरा नम्बर 4 से 11 तथा 65 प्रथम जमाबन्दी में मूर्ति मन्दिर जानकी वल्लभजी वाके देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी, जो पश्चातवर्ती अभिलेखों में उपकृषक/काबिज खातेदारों के विभिन्न नामान्तकरणों के जरिए वर्तमान जमाबन्दी व निम्नांकितानुसार दर्ज हो गई है, अतः प्रकरण राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स हेतु सादर प्रेषित है–

क्र. स.	साबिक ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा	प्रथम जमाबन्दी में प्रविष्ठियां	परिवर्तन का प्रकार	वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6/5	7 बीघा	448	1.82	माफी मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी वाके देह बहतमाम महन्त लक्ष्मणदास चेला परसरामदास स्वामी सा. बागडास	नामा. संख्या 428, 308, 443	चूना पुत्र भारू हि. 1/9 राहिन बेगा छीगना हि. 2/9 एस.बी.बी.जे शाखा लोसल मूर्तहीन उमा पुत्र पदमा हि. 1/3 भागू पुत्र जीवण हि. 1/3 जाति जाट सा.देह
2	4/2	7 बीघा 5 बिस्वा	437 438	0.83 0.73	माफी मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी	नामा. संख्या	मन्ना भोमा पि. भारू हि. 1/6 रहन पीएनबी.

सत्यमेव जयते
Web copy - Not official

	6/4 5/2	12 बीघा 5 बीघा 10 बिस्वा	439 440 441 442 443 460 461 462 463	0.73 0.57 0.48 0.06 1.46 0.11 0.38 0.43 0.41	वाके देह बहतमाम महन्त लक्ष्मणदास चेला परसरामदास स्वामी सा. बागडास	290, 592, 368, 440	लोसल पेमा पुत्र रूपा हि. 1/12 रूपा पुत्र डालू हि. 1/4 चूना बेगा छीगना पि. भारू हि. 3/16 भागीरथ पुत्र पोखर हि. 1/8 उमा पि. पेमा हि. 3/16 जाति जाट सा.देह खातेदार
3	6/1	23 बीघा 7 बिस्वा	432 434 436	4.43 0.16 1.33	माफी मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी वाके देह बहतमाम महन्त लक्ष्मणदास चेला परसरामदास स्वामी सा. बागडास	नामा. संख्या 266, 165	उमा पुत्र पदमा जाति जाट सा. देह खातेदार
4	6/2	20 बीघा	444 445 446 447	0.13 1.53 2.17 1.38	माफी मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी	नामा. संख्या 181, 268, 443	चूना बेगा छिगना पि. भारू जाति जाट सा. खातेदार
5	6/3	20 बीघा 10 बिस्वा	433 435	5.01 0.05	माफी मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी	नामा. संख्या 267, 644	रतनी बेवा भागीरथ जाति जाट सा.देह खातेदार
6	11/6	9 बीघा 4 बिस्वा	546	2.33	माफी मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी	नामा. संख्या 553, 352	भैरूराम पीथाराम गोपाल पि. म्हादा राम
7	11/5	5 बीघा	545	1.26	माफी मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी	नामा. संख्या 182, 505, 383	मूली गुलाबी तीजू चौथी मोहरी पुत्रिया गणेश हि. 1/2 हि.ब. मदन पुत्र भागीरथ जाति दरोगा सा.देह
8	11/4	9 बीघा 15 बिस्वा	540 540/1559	1.34 1.11	माफी मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी	नामा. संख्या 182, 420, 169, 268	घीसाराम पुत्र चूना जाट रहन पीएनबी लोसल लिछमणराम गोपीराम पि. रूपाराम जाति ब्रा. सा. देह खातेदार
9	4/1 7 11/2	23 बीघा 5 बिस्वा 30 बीघा 5 बिस्वा 16 बीघा 10 बिस्वा	430 431 452 453 454 531 532	0.04 1.75 1.56 0.01 2.33 0.05 1.55	माफी मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी	नामा. संख्या 400, 300, 269, 727, 409	सुखाराम पि. रूपा हि. 1/5 राहिन एसबीबीजे. शाखा लोसल नानूराम मोहनराम नोपाराम पि. रूपा हि. 3/5 जगदीश हीरा प्रभू चूना मखु पि. भूरा चन्द्री बेवा भूरा हि. 1/5 जाति जाट सा.देह खातेदार
10	5 10 65	8 बीघा 5 बिस्वा 5 बिस्वा 19 बिस्वा	475 476 541 619 620	0.01 2.08 0.06 0.20 0.04	माफी मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी	नामा. संख्या 237, 407	मोहनीदेवी पत्नी रामकिशन मुरलीधर सीताराम महावीर घनश्याम गोपाल पि. रामकिशन हि.ब.जाति स्वामी

अतः उक्त रेफरेन्स आवेदन स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार आराजियात की भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी के नाम दर्ज की जावे।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से वकील श्री संजीव माथुर उपस्थित आये। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब आवेदन व लिखित बहस पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया गया है कि "हस्तगत रेफरेन्स काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से वादास्पद आराजियात पर अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा–काश्त होने एवं तथाकथित मूर्ति मन्दिर के नाम नहीं होने से पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है एवं 12 वर्ष से अधिक समय से किसी भी भूमि पर कब्जा काश्त सिद्व हो जाता है उक्त भूमि पर से उक्त खातेदारान को बेदखल नहीं किया जा सकता है। राजस्व विभाग के विभिन्न परिपत्रों के जरिए भी स्पष्ट किया जा चुका है कि जब विवादास्पद आराजियात पर काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय खातेदारी कब्जा–काश्त जिस भी व्यक्ति का हो, खातेदारी उसी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज फरमाई जावे। इस सम्बंध में विवादित भूमियां सम्वत् 2008 से निरन्तर प्रत्यार्थीगण एवं उनके पूर्वजों के खातेदारी कब्जे काश्त में चली आ रही है, जो जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से काबिज चले आ रहे है। प्रथम सेटलमेन्ट की कार्यवाही सम्वत् 2011–12 में होने पर विवादित आराजियात पर अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त के आधार पर अप्रार्थीगण के नाम पर्चा नम्बर 48, 53 व 55 जारी किये गये थे। तद्नुसार अप्रार्थीगण विवादित आराजियात पर काबिज खातेदार खुदकाश्त चले आ रहे है। अतः हस्तगत रेफरेन्स निरस्त फरमाया जावे।" अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब/लिखित बहस के सलंग्न न्यायिक दृष्टांत एवं परिपत्र पेश किये गये, जिनका भी अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 1998 के मुताबिक उपरोक्तानुसार आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी वाके देह व अहतमाम महन्त लछमनदास चेला परसरामदास स्वामी सा.बागड़ास के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है। उक्त आराजियात की खातेदारी इसके पश्चात् बिना किसी आदेश के खातेदारान के नाम जरिये नामान्तकरण के दर्ज कर दी गई है। जमाबन्दी सम्वत् 1998 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी दर्ज रिकार्ड होने के उपरांत उक्त मन्दिर की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर दी गई, जो बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज भूमियों पर किसी अन्य को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम भीमा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर (पुराने) 4 से 11 तथा 65 की अन्य खातेदारान के नाम दर्ज हुई है, जो निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री जानकी वल्लभ जी के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/11/19

(जयप्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2019.11.25 16:30:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: